	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
...धि उप०। ...व्दस सुनी ...9 को	
...दस सुनी 31-7-19	

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31-7-19 वकील प्रार्थी उप० है। प्रार्थी का प्रा० पत्र 136 L.R.Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील ~~मूल~~ दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) ...जिला कलेक्टर ...पुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
199/2018	14.11.2018	31.7.2019

किशनलाल पुत्र गोरधन, गुर्जर नि0 टोंटोलाई तहसील गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी किशनलाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी किशनलाल पुत्र गोरधन को दिनांक 25.5.86 को ख0नं0 335 में से रकबा 0.50 है0 भूमि ग्राम टोंटोलाई में आवंटित हुई। तभी से प्रार्थी इस भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी को आवंटित इस भूमि का ख0नं0 689/335 कायम किया गया तथा खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई परन्तु खातेदारी कालम में प्रार्थी के पिता का गलती से गोरधन के स्थान पर गोरया दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम गोरधन है तथा आवंटन आदेश में सही रूप से प्रार्थी के पिता का नाम गोरधन दर्ज है। प्रार्थी को राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई इस गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी जब अपनी जमाबंदी पर के0सी0सी0 बनवाने के लिए दि0 15.9.18 को बैंक गया तो बैंक कर्मचारियों ने बताया कि प्रार्थी के पिता का नाम जमाबंदी में गोरया दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी के पिता का नाम गोरधन के स्थान पर गोरया दर्ज कर प्रार्थी को अनावश्यक रूप से भारी मानसिक व आर्थिक क्षति कारित की है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई गलती केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि व टाईपिंग भूल है जिसकी दुरूस्ती होना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या नया 33 ग्राम टोंटोलाई की भूमि ख0नं0 689/335 में दर्ज खातेदारी "किशन पुत्र गोरया" के स्थान पर "किशनलाल पुत्र गोरधन" दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें तथा इसी अनुसार समस्त राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश तहसीलदारजी गंगापुर सिटी को दिए जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075, फोटोकोपी निर्वाचक नामावली 2014, फोटोकोपी आधार पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत बूचोलाई का प्रमाण पत्र दिनांक 18.9.18, बैंक पासबुक की फोटोकोपी, राशनकार्ड की छायाप्रति, भूमि आवंटन आदेश दिनांक 29.10.86 की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाई गई।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

किशनलाल बनाम लैण्ड होल्डर, प्रा0पत्र 136 एल0आर0एक्ट

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/2019/410 दि0 2.4.19 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्धान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम सही दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। नकल भूमि आवंटन आदेश दि0 [illegible] के अनुसार प्रार्थी किशनलाल पुत्र गोरधन को ख0नं0 335 में 0.50 है0 भूमि ग्राम टोंटोलाई में आवंटित हुई है। इस भूमि आवंटन का प्रार्थी के नाम जो गैरखातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किया उसमें प्रार्थी के पिता का नाम गोरधन के स्थान पर गौरया दर्ज किया गया है एवं आज भी प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में गौरया अंकित चला आ रहा है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो में प्रार्थी के पिता का नाम गोरधन अंकित है एवं प्रार्थी को जो भूमि आवंटित हुई है उसमें भी प्रार्थी के पिता का नाम गोरधन ही अंकित है। राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाहीपूर्वक प्रार्थी के पिता का नाम गोरधन के स्थान पर गोरया दर्ज कर दिया है जिसकी शुद्धि कराने का प्रार्थी अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सं0 2072 से 2075 ग्राम टोंटोलाई में दर्ज भूमि ख0नं0 689/335 रकबा 0.50 है0 में दर्ज प्रविष्टि किशन पुत्र गोरया हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा0 ग्राम खातेदार के स्थान पर प्रविष्टि किशनलाल पुत्र गोरधन हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा0 ग्राम खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.20 17:34:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: